ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) सूखा से प्रभावित गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी के बारे में गुजरात की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं चल रहे राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मिनी मिशन परियोजनाओं और उप-मिशनों के तहत मुहैया कराई जाती हैं ।

(ग) और (घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात की राज्य सरकार को 1992-93 में 16.33 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे 1993-94 में बढ़ाकर 26.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अब तक 13.28 करोड़ रुपए रिलीज़ जा चुके हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

3283. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति में कितना समय लगने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) जनवरी 1993 में, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 3287.82 लाख रुपये रिलीज करने तथा वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया था । चूंकि वर्ष 1992-93 के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि को रिलीज करना सम्भव नहीं था । राज्य सरकार को उनके 261.09 लाख रुपये के आबंटन के मुकाबले वर्ष 1992-93 हेतु 267.89 लाख रुपये रिलीज किए गए थे । 1993-94 के लिए 391.43 लाख रुपये के आबंटन में से 195.715 लाख रुपये रिलीज किए जा चुके हैं ।

बंजर भूमि के विकास के लिये ऋण

3284. **श्री गोपाल सिंह सो० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के विकास के लिये और निगम क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस संबंध में सूचना, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विन्डो सुविधा प्रदान कराने के पक्ष में है;

(ग) क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि गुजरात में जिलेवार कितना-कितना भू-क्षेत्र बंजर है और क्या सरकार ने इस बंजर भूमि के सर्वांगीण विकास के लिये कोई कार्य योजना बनाई है,

(घ) सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) बंजर भूमि विकास विभाग इस समय "मार्जिन मनी सहायता" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है ? जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/कम्पनियों/अलग-अलग व्यक्तियों को वृक्षारोपण/वनरोपण के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है । इसके लिये वित्त पोषण के पैटर्न में परियोजना लागत के कम से कम 50 प्रतिशत तक बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है और शेष राशि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड तथा संवर्धक एजेंसी द्वारा बराबर-बराबर मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी किन्तु इस राशि में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का हिस्सा कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत ही सीमित रहेगा । इस सहायता को मार्फत यह योजना बैंक ऋण के लिये राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सक्षमता मानदंड के दायरे में आ जाती है । निगमित क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं से इस विभाग को प्राप्त सुझावों को देखते हुए योजना में अब संशोधन किया जा रहा है । इस समय चल रही योजना को देखते हुए यह विभाग बंजर भूमि के विकास के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराने की एक अलग योजना पर विचार नहीं कर रहा है । पूरे देश में बंजर भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण के कार्यों के लिये राष्ट्रीय बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्थागत

वित्त उपलब्ध कराया जाएगा । बंजर भूमि के विकास के लिये भूमि और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का पता लगाने, परियोजनाओं को तैयार करने और वित्त-पोषण करने तथा राज्यों के भूमि सम्बन्धी कानूनों में आने वाली बाधाओं को दूर करने जैसी गतिविधियों सहित बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाएं शामिल होती है इसलिए इस अवस्था में सिंगल विन्डो एप्रोच को अपनाना संभव नहीं होगा ।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य में बंजर भूमि का पता लगाने के लिये अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के आधार पर राज्य में बंजर भूमि 7.83 मिलियन हैक्टेयर तक फैली हुई है जिसमें से 7.15 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन क्षेत्र हैं । सरकार ने वनरोपण हेतु कई कार्यक्रम शुरु किए हैं जिनमें समेकित बंजर भूमि विकास, कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण जैसी योजनाएं शामिल हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-16 के अंतर्गत वनरोपण तथा वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । गुजरात में वनरोपण/वृक्षारोपण के माध्यम से बंजर भूमि के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1990–91 . . .	35.08
1991–92 . . .	58.20
1992–93 . . .	67.14

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन

3285. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग इस योजना से लाभान्वित हुए;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग और निम्न आय वर्ग के कितने लोगों को इस योजना के अधीन लाभ दिया गया;

(ङ) वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्र/राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(च) क्या इस योजना के अधीन आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) 1992–93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 662.22 करोड़ रुपये का आबंटन किया था ।

(ख) 1992–93 में योजना के अंतर्गत 20.68 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(ग) 1992–93 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को श्रेणी के कुल 1.11 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल निम्न आय वाले समूहों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8500 रुपये की सीमा रेखा से कम है, को सहायता दी जाती है । 1992–93 में इस प्रकार सहायता प्राप्त कुल परिवारों में से 10.63 लाख परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के थे ।

(ङ) 1992–93 में कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय आबंटन 331.65 करोड़ रुपये और राज्य आबंटन 330.57 करोड़ रुपये था ।

(च) आबंटित की गई समस्त निधियों का पूर्णतः इस्तेमाल कर लिया गया था । इस्तेमाल की गई 693.07 करोड़ रुपये की राशि कुल आबंटन से अधिक थी ।

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि क्षेत्र

3286. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यमान बंजर भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कितने बंजर भूमि क्षेत्र को जोत योग्य किया जा सकता है और कितना क्षेत्र ऐसा है जहां कोई वनस्पति नहीं उगाई जा सकती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के कितने बंजर क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किए जाने की संभावना है;